

खबर संक्षेप

पेसा मोबइलाइजर का दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ मण्डला। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतोंतरा पेसा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम 1996 और पेसा अधिनियम 1996 की प्रचार प्रसार हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण जिला मण्डला, जनपद पंचायत नारायणगंज मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुआ पंचायत इम्पेक्टर रम्पू सिंह मरावी ने प्रशिक्षण का उद्देश्य बताया दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर रामनाथ मरकाम, सीलचंद्र मार्को, रामकारण कुडापे, इंद्रा उडके, राघवी धुर्वे, दुर्गेश उडके के द्वारा प्रशिक्षण का शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती गीत गाकर किया गया जिसमें पेसा प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र के लिए संविधान की प्रावधान, पांचवी अनुसूची, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम, 1996 की प्रमुख प्रावधान, मध्यप्रदेश पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत पेसा संबंधित प्रावधान मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष प्रबंध के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत बनाना, विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके शांति एवं सुरक्षा, मादक पदार्थों का निषेध और उनकी बिक्री की खपट को प्रतिबंधित करना, भूमि प्रबंधन, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण नियम 2022, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल संरक्षण, अनुसूचित जनजाति और न्याय परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एफ आर ए पर जानकारी दी गई।

अधिकारियों और कर्मचारियों के अनधिकृत संलग्नीकरण और तबादलों पर सख्ती

क्या निरस्त होंगे इनके आदेश

* 16 दिसंबर तक मांगा प्रमाण-पत्र।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अनधिकृत संलग्नीकरण (अस्थायी नियुक्ति) और स्थानांतरण पर प्रतिबंध अवधि में किए गए नियम विरुद्ध तबादलों पर सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संचालक या जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों का अस्थायी संलग्नीकरण अथवा स्थानांतरण बिना सक्षम अनुमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आदेश में सभी संभागीय उप आयुक्तों और सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे 16 दिसंबर 2024 तक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। जिसमें यह बताया जाए कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का अनधिकृत संलग्नीकरण या तबादला नहीं किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया या अनधिकृत संलग्नीकरण पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश प्रशासनिक पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी गई।



आदेश का सख्ती से पालन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। देखना यह है कि पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी, पूर्व सहायक आयुक्त से लेकर वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त अपनी कर्तव्यों पर कैसे परदा डालते हैं। कारण मंडला जिले में इनके कारनामों की लंबी सूची है। देखना यह भी है कि कतिपय नेतागण अपने चहेते अधिकारियों के बचाने में कितने कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेतागण कैसे इस मामले को विधानसभा तक ले जाने में रुचि दिखाएंगे या फिर जिले की दुर्दशा की शिकार शिक्षा व्यवस्था के मूकदर्शक बने रहेंगे।

अध्ययन कार्य को आधार बनाकर जिस तरह शिक्षकों के संलग्नीकरण एवं स्थानांतरण के आदेश जारी किये गये क्या वे सभी आदेश अब निरस्त माने जायेंगे या निरस्त किये जायेंगे अथवा जिस तरह इसके पूर्व भी जिला प्रशासन

एवं अन्य उच्चाधिकारियों को गलत जानकारी दी जाती रही है उसी तरह से इस आदेश पर भी जानकारी देकर मामले को निपटा दिया जायेगा। समझ से परे है कि जिला प्रशासन को आज तक इतनी जानकारी क्यों नहीं हो पा रही है कि जिले की किन शालाओं में आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं या वर्तमान में अपनी सेवायें दे रहे हैं और किन शालाओं में या तो शिक्षक ही नहीं हैं या फिर एक ही शिक्षक के सहारे 5-5 शालायें संचालित हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ गणित और विज्ञान के विषय विशेषज्ञ आज किन शालाओं में या किन कार्यालयों में अपनी सेवायें दे रहे हैं ऐसी शालायें जहां पर कि गिनती के 4-5 छात्र हैं लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षकों की तदाद यहां आश्चर्यजनक है आखिर इन गिनती के छात्रों की पढ़ाई पर लाखों रूपयों का सरकारी खर्च होना क्या न्यायसंगत है

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ द्वारा चीन्ह-चीन्हकर मण्डला विकासखंड में शिक्षकों को पदस्थ किया गया और स्वयं के द्वारा शिक्षकों को शाला पहुंचकर हाथो-हाथ उनके पत्र दिये गये उच्चाधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगने दी गई और यह सब हुआ सेवा शुल्क के लिये लेकिन जब मीडिया में इस तरह की खबर प्रकाशित हुई तब कहीं जाकर सहायक आयुक्त द्वारा इस तरह की सभी पदस्थापनाओं को निरस्त कर दिया गया था अब देखा है कि आयुक्त के आदेश के बाद जिले में भी ऐसी कार्यवाही होगी अथवा नहीं।

शौर्य भूमि संलग्नीकरण बनाम स्थानांतरण का खेल

रोटरी क्लब ने शासकीय हाई स्कूल बिड़िया के 70 बच्चों को वितरित किए स्वेटर

मण्डला। रोटरी क्लब मण्डला द्वारा एकिकृत शासकीय हाई स्कूल बिड़िया के 70 जरूरतमंद बच्चों को गर्म ऊनी स्वेटर वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब अध्यक्ष गीता काल्पीवार और क्लब के अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार पांडे ने रोटरी क्लब के इस सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए शाला परिवार की ओर से सभी सदस्यों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब द्वारा जरूरतमंदों की मदद का यह कार्य समाज में अनुकरणीय उदाहरण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब अध्यक्ष गीता काल्पीवार ने कहा, रोटरी क्लब हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहता है। हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाना है। बच्चों को स्वेटर वितरित करना सर्दी के मौसम में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हम आगे भी ऐसे कार्य जारी रखेंगे। इस अवसर पर विद्यालय की ओर से गायत्री शुक्ला, अलका दुबे, वंदना सिंगर, योगेंद्र पटेल, छाया धुर्वे और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। रोटरी क्लब मण्डला से गीता काल्पीवार, साधना दुबे, सुरेश चौधरी, अजय खोत, उपेंद्र शुक्ला, संजय तिवारी, कपिल वर्मा, इंद्रेश खरया, अभिषेक बाजपेयी, डॉ. सुमित पटेल, राजा शुक्ला एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच खुशी और आभार का माहौल बना दिया। रोटरी क्लब मण्डला ने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया।

आयोजन पंचचौकी महाआरती में कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी शामिल हुए।

जगमगाते दीपों से प्रकाशित हुआ महिष्मती घाट



महिष्मती घाट में बुधवार को संध्याकालीन पंचचौकी महाआरती का आयोजन किया गया। पंचचौकी महाआरती महिष्मती घाट के अमृता चौक, रेवा चौक, नर्मदा चौक, संकरी चौक और मेकलसुता चौक में संपन्न हुई। पंचचौकी महाआरती में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी,

अज्ञात तत्वों ने गांधी प्रतिमा से की छेड़छाड़

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

बीती दरमियानी रात्रि में अज्ञात तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा से छेड़छाड़ कर मूर्ति को छिटाप्रस्त कर दिया। उक्त मामले की जानकारी नजदीकी दुकानदार को तब लगी जब वह लघुशंका हेतु स्टेच्यू स्थल के पीछे पुराने आयुर्वेदिक दवाखाना भवन के खंडहर की ओर जा रहे थे। उक्त ने नगर परिषद अध्यक्ष को फोन पर मामले की जानकारी दी तब घटना कारित करने वाले की पतासाजी की गई लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। दोपहर में परिषद के जिम्मेदार लोगों ने तत्काल मूर्ति को यथावत स्थापित करने का कार्य शुरू किया और महात्मा गांधी की मूर्ति को कंक्रीट बेस में स्थापित कर दिया गया। ज्ञात हो कि निवास नगर के एकमात्र हस्तवे तिराहे पर स्वतंत्रता संग्राम बलिदान राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह का प्रतिमा बेस स्थल भी काफी कमजोर हो चला है और इस पर स्थापित मूर्तियों का बजन भी काफी ज्यादा है, जिससे उक्त महापुरुषों की मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन समय रहते इस ओर भी नगर परिषद प्रशासन व किसी जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान न दिया जाना चिंताजनक है। साथ ही पूर्व में इस स्थल में लाई गई स्टील की शिल भी एक ओर से गायब है, परिषद व जन प्रतिनिधियों से जन अपील है कि उक्त स्टेच्यू स्थल का सुधार कार्य व शुरुआ सुनिश्चित की जाये।

ट्रक ड्राइवर व कंडेक्टर की दर्दनाक मौत

* गुस्साये क्षेत्रीय लोगों ने हाईवे पर लगाया घण्टों जाम।

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

नेशनल हाईवे 30 पदमी चौराहा में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। विगत बुधवार को सुबह 05 बजे एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कंडेक्टर भी ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो ट्रक एक ही मालिक के रायपुर की ओर से जबलपुर की ओर आ रहे थे, इसी दौरान पदमी चौराहा में आगे वाले ट्रक का ब्रेक लगा, तो पीछे वाले ट्रक ड्राइवर ने भी जमकर ब्रेक लगाया, जिससे ट्रक में रखी लोहे की पाईप ट्रक की केबिन को तोड़ते हुए ड्राइवर एवं कंडेक्टर को लगी और ये दोनों केबिन और लोहे की पाईप में चिपक गये जो घण्टों तड़पते रहे। स्थानीय लोगों द्वारा गैस कटर का उपयोग कर बाहर निकालने का प्रयास किया जाता रहा। इस समय तक हिरदेनगर चौकी के मात्र दो पुलिसकर्मी ही पहुंच पाये थे। प्रशासन के जिम्मेदारों को सूचना दी गई, लेकिन पहुंचने में

जय जगदा नंदी आरती गाया गया। जय नर्मदे, जय भवानी, जय जगदम्बा, जय नर्मदा, जय राधेकृष्णा और जय-जयकार किया गया। आरती समापन के बाद कार्यक्रम स्थल में सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, अपर कलेक्टर अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम श्रीमती सोनल सिडाम, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती श्रमा सराफ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफडे सहित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, व्यापारीगण, प्रचारकारण, श्रद्धालु और जिले के गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

आजीविका मिशन को क्यों दिया जा रहा संरक्षण?

अनियमितताओं पर क्यों नहीं होती कार्यवाही

महिलाओं को काम न देकर पदाधिकारियों ने बजाया पैसा समूह की आत्मा को मारने का प्रयास

हरिभूमि न्यूज | मण्डला

जिले के आजीविका मिशन में व्याप्त अनियमितताओं की एक लम्बी फेहरिस्त है लेकिन बार-बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही न होना समझ से परे है यही कारण है कि इन्हें संरक्षण दिये जाने की बातें होने लगी हैं। गणवेश घोटाले को लेकर जिस तरह से विभाग पर गंभीर आरोप लगे जिस तरह से समूहों की आड़ लेकर खरीदी गई और स्कूलों में विभाग द्वारा सप्लाई की गई और सिर्फ समूह के अध्यक्ष सचिव से बिल बाऊचर लिये गये नगर के व्यापारियों के घरों से गणवेश समूह को दिये जाने के वीडियो प्रमाण भी सार्वजनिक हुये थे जिस पर दिखावे के लिये जांच तो बैठाई गई और अधिकारियों को जांच का जिम्मा सौंपा गया लेकिन एक लम्बे समय के बाद भी जांच रिपोर्ट का न आना समझ से परे है और संदेह को भी जन्म दे रहा है। जबकि इसी तरह की अनियमितताओं पर पड़ोसी जिले में त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला परियोजना प्रबंधक की सेवा समाप्त कर दी गई। फिर मण्डला में भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बचाया जा रहा है हालांकि मण्डला में इस तरह भ्रष्ट अधिकारियों को पालने का सिलसिला पुराना है जो भी कार्यवाही इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध हुई है वह लोकायुक्त के द्वारा ही की गई है। हैरत की बात है कि विभागों में ये भ्रष्टाचारी खुलेआम रिश्तत लेते हैं लेकिन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगती लोगों को जानकारी तब होती है जब ये भ्रष्टाचारी रोंहाथों पकड़े जाते हैं। इसी तरह से आजीविका मिशन में भी समूह की महिलाओं से पैसे मांगे जाने की बातें प्रकाश में आई हैं।



